(387)

**छत्तीसगढ़ शासन**
**आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग**
मंत्रालय
दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

**--अधिसूचना--**

31 MAY 2012
रायपुर, दिनांक ....... मई, 2012

क्रमांक एफ–20–3/25–2/2009/आजावि : विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी, 2009 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 23 सहपठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 16 के अंतर्गत राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति का गठन किया गया है।

2– भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 16 (1) (iv) को संशोधित कर "निदेशक/उपनिदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग" को "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिनिधि" द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

3– अतः उपर्युक्त के अनुपालन मे राज्य शासन, एतद् द्वारा विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी, 2009 को अधिकमित करते हुए उक्त अधिसूचना के अनुक्रमांक 24 के तहत अंकित प्रविष्टि "निदेशक/उपनिदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग" को "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिनिधि" के द्वारा प्रतिस्थापित करता है।

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से**
**तथा आदेशानुसार**

(signature) 31/5/12

**(डॉ अनिल चौधरी)**
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

पृ. क्रमांक एफ–20–3/25–2/2009/आजावि रायपुर, दिनांक ...... मई, 2012 31 MAY 2012

प्रतिलिपि.

1. सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारित मंत्रालय, नई दिल्ली
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
3. विशेष सहायक, मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन,आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग,मंत्रालय,रायपुर
4. निज सचिव, मान. संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,आ.जा. तथा अनु. जाति विकास विभाग,मंत्रालय, रायपुर
5. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
6. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, रायपुर
7. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, लोक नायक भवन,खान मार्केट, नई दिल्ली–110003
8. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग, लोक नायक भवन,खान मार्केट, नई दिल्ली–110003
9. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, रायपुर
10. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़, रायपुर
11. आयुक्त, जनसंपर्क, रायपुर.
12. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़
13. समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
14. सचिव, राज्य अनुसूचित जन जाति आयोग, रायपुर
15. सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, रायपुर
16. उप संचालक, शास.मुद्रणालय,राजनांदगॉव की ओर इस अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु
17. आदेश प्रति

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग